न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 227 / 2022 — **दायर दिनांकः– 28 / 07 / 2022**

जीसीएमएस नं0ः–2022 / 451 — **निर्णय दिनांकः– 07 / 06 / 2024**

वउनवान

1. नाहरसिंह पुत्र भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर
2. महाराजसिंह पुत्र भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर
3. फूलसिंह पुत्र भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर

------वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर
2. तहसीलदार कठूमर जरिये लैण्ड होल्डर

------प्रतिवादीगण

3. रामकला पुत्री भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर
4. दीवल पुत्री भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर
5. लच्छो पुत्री भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर
6. उगन्ती पुत्री भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर

--तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>दावा इस्तकरारहक व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा– 88,89,188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थितिः–1.श्री रामजीलाल शर्मा अधिवक्तागण–वादी

2. पैरोकार [illegible]का तहसीलदार कठूमर प्रतिवादी

03.6.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:35:22 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णय:—

संक्षिप्त तथ्य वाद वादीगण इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 0.56 हैक्ट0 जिसका साबिक खसरा नम्बर 125 मिन रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम नूनियां तहसील कठूमर में स्थित है।उक्त आराजी वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के पडदादा ओमकार की पैदा कर्दा आराजी है। ओमकार के फौत हो जाने पर विवादित आराजी वादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के बाबा मांग्या को मांग्या के फौत हो जाने पर वादीगण के पिता भोमा को व वादीगण के पिता भोमा के फौत हो जाने पर वादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है जो आराजी पैतृक आराजी है जिस पर वादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त कर रहे है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी भोमा के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। अतः वादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादीगण भोमा का नाम कलमजन कराकर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तमाम साबिक राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बरान में वादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादीगण की जाति माली दर्ज है लेकिन बन्दोबस्त विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के वादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के पडदादा ओमकार की जाति माली को खत्म कर मीना दर्ज कर दिया, जबकि बन्दोबस्त कर्मचारियान को तो पुराने इन्द्राज ही रिपीट कर जाति माली ही दर्ज करनी चाहिए थी। इस प्रकार हाल राजस्व रेकार्ड गलत है।वादीगण ने प्रतिवादीगण एंव उनके अधीनस्थ कर्मचारियान से विवादित आराजी में मीना जाति के स्थान पर माली दर्ज करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। तब वादीगण ने अपने अधिवक्ता से कानूनी प्रावधानों के तहत धारा 80 जा0दी0 का नोटिस मियादी 60 दिवस रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा भिजवाया लेकिन प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड में जाति दुरूस्त नहीं की है। अतः वादीगण ने राजस्व रेकार्ड से मृतक पिता भोमा का नाम कलमजन करा कर वादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कराने, जाति मीना के स्थान पर माली दर्ज कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का दावा वादीगण मुताबिक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:35:22 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के तामीली नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। तरतीवी प्रतिवादीगण ने दावा के तथ्यों को स्वीकार कर इकबाल जबाव पेश कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं0 1–2 बावजूद रजि0 डाक सूचना के उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 02/5/2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी संवत् 2074 से 77, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2028, नकल जमाबन्दी संवत् 2017 की सत्य प्रतिलिपी पेश की है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि बन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियान व अधिकारियान ने वादीगण की जाति माली बदल कर मीना दर्ज कर दी जबकि वादीगण की जाति माली है। तरतीवी प्रतिवादीगण ने इकबाल जबाव पेश कर दावा के तथ्यों को स्वीकार किया है। पत्रावली के साथ संलग्न साबिक राजस्व रेकार्ड से वादीगण की जाति माली साबित है।अतः दावा वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री कर दिया जावे। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 318 का साबिक खसरा नम्बर 125 मिन प्रमाणित है। नकल जमाबन्दी संवत् 2017 से 20 में विवादित आराजी का साबिक खसरा नम्बर 125 मिन पर वादीगण के पिता भोमा की जाति मीना दर्ज नहीं है जिस नम्बर पर मीना अंकित है वो अन्य खसरा नम्बर है तथा विवादित आराजी बाबत खसरा नम्बरान का मिलान नहीं होता है। बन्दोबस्त विभाग ने भी पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट कर हाल खसरा नम्बर 318 पर वादीगण के पिता भोमा पुत्र मांग्या की जाति मीना अंकित की है। वादीगण ने अपने दावा को साबित करने अथवा वादीगण की जाति मीना ना हो कर माली हो इस तरह का कोई प्रमा[illegible]ावेज पेश नहीं किया है।बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादीगण की जाति का गलत [illegible]राज नहीं किया है, जमाबन्दी संवत 2074–2077 में नाहरसिंह, [illegible]िंह के पिता का नाम भौरया दर्ज है जबकि वादीगण अपने पिता का नाम भोमा बता रहे है। अतः वादीगण राजस्व रेकार्ड

03.6.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:35:22 IST
Reason: SelfAttested

में दर्ज जाति मीना के स्थान पर माली दुरूस्त कराने तथा खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण अपने वाद पत्र को साबित करने में असफल रहे है। इस वजह से वाद वादीगण साबित ना होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः वाद वादीगण आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 0.56 हैक्ट0 वाके ग्राम नूनियां तहसील कठूमर बाबत साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:35:22 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 227 / 2022 दायर दिनांकः– 28 / 07 / 2022

जीसीएमएस नं0ः–2022 / 451 निर्णय दिनांकः– 07 / 06 / 2024

वउनवान

1. नाहरसिंह पुत्र भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर
2. महाराजसिंह पुत्र भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर
3. फूलसिंह पुत्र भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर

———डिकीदारान्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर
2. तहसीलदार कठूमर जरिये लैण्ड होल्डर

———मदयूनान्

3. रामकला पुत्री भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर
4. दीवल पुत्री भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर
5. लच्छो पुत्री भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर
6. उगन्ती पुत्री भोमा जाति माली निवासी नूनियां तहसील कठूमर

———तरतीबी मदयूनान

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–88,89,188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः वाद वादीगण आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 0.56 हैक्ट0 वाके ग्राम नूनियां तहसील कठूमर बाबत साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.0[illegible]024 [illegible] यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.24 08:35:22 IST
Reason: SelfAttested

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)